Azadi Ka Amrit Mahotsav

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

प्रहार

सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, Fax: 2227602
Toll Free Help Line 15100/9928900900)
Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in
website: www.rlsa.gov.in

नये हैं पंख अभी
मुझे आसमान में उड़ने दो,
विवाह किसे कहतें हैं माँ!
मेरा बाल विवाह मत होने दो

कच्ची उम्र में,
मत करो विवाह।
दोनों का जीवन,
होगा तबाह।

किसी भी राष्ट्र की उन्नति में उस राष्ट्र के व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले समाज का ही योगदान होता है। दूसरे शब्दों में किसी राष्ट्र के विकास में समाज ही भागीदार होता है। हमारे देश में कई सामाजिक विषमताऐं और कुरीतियॉ विद्यमान है, जिससे भारतीय समाज का जीवन दुःखद और संकटग्रस्त रहता है। सामाजिक कुरीतियों में प्रमुख है– बाल विवाह एवं मृत्युभोज। उक्त कुरीतियों की रोकथाम या निवारण हेतु विधायिका ने कानून बनाये है, लेकिन कानून के साथ–साथ आम नागरिक को भी इन कुरीतियों को दूर करने के लिए जागरूक किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निरन्तर प्रयासरत है, जिसके सुखद परिणाम भी प्राप्त हो रहे है।

बाल विवाह–एक अभिशाप

बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है तथा कानूनी अपराध है, जिसमें ऐसे दो अवयस्क व्यक्तियों को जो विवाह के बारे में कोई समझ नहीं रखते उन्हें विवाह के बन्धन में बाँध दिया जाता है, जिसका दुष्परिणाम उनके पूरे जीवन पर पड़ता है। वास्तव में बाल विवाह उन दो अवयस्क या अपरिपक्व बच्चों पर एक प्रकार का अत्याचार है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 पारित किया गया है। जिसके अनुसार विवाह के समय लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष तथा लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम आयु के लड़के या लड़की का विवाह, बाल विवाह कहलाता है। उक्त अधिनियम के अनुसार बाल विवाह के लिए 02 वर्ष तक के कारावास या 01 लाख रुपए तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

बाल विवाह के दुष्परिणाम :–

1. बाल विवाह से, उन अवयस्क बच्चों की शिक्षा अधूरी रह जाती है, परिणामस्वरूप समाज एवं राष्ट्र की उन्नति में बाधा उत्पन्न होना।
2. कच्ची उम्र में बालिका के गर्भवती हो जाने से, माता व शिशु की मृत्युदर का बढ़ना।
3. शिक्षा लेने की उम्र में गृहस्थी का बोझ कन्धों पर आने से उन बालकों की शिक्षा अधूरी रह जाती है। वे प्रशिक्षित हुए बिना ही रोजगार में संलग्न हो जाते है, जिसके परिणामस्वरूप उनमें कार्यकुशलता एवं आत्मनिर्भरता का अभाव रहता है।
4. अपरिपक्व व अनजान बच्चों का कच्ची उम्र में विवाह होने से बाद में उनके विचार मेल नहीं खाते। बेमेल विवाह के कारण उनके वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है और विवाह विच्छेद होने की सम्भावना रहती है।
5. बाल विवाह के कारण अवयस्क बच्चों का स्वास्थ्य विपरीत रूप से प्रभावित होता है व उनके व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है।

6. बाल विवाह के कारण वे कम उम्र में ही गृहस्थी सम्भालने में व्यस्त हो जाते है, जिससे उनके विकास के अवसरों में रुकावट आती है।

कानूनी प्रावधान –

1. **बाल विवाह किसे कहते हैः**– बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा–2 में महत्वपूर्ण परिभाषाऐं दी हैं। उक्त अधिनियम की धारा–2 (ख) में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है,जिसके अनुसार बाल विवाह से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसके बन्धन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई बालक है। अधिनियम की धारा–2 (क) के अनुसार बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, यदि पुरूष है तो 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि नारी है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

2. **बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारीः**– बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा–2 (घ) में परिभाषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत अधिनियम की धारा–16 (1) के अधीन नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी है। उक्त अधिनियम की धारा–16 (1)के अनुसार राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सम्पूर्ण राज्य या उसके ऐसे भाग के लिए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए, किसी अधिकारी या अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के नाम से नियुक्त करेगी। उक्त अधिकारियों की अधिकारिता अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षैत्र या क्षैत्रों पर होगी। अधिनियम की धारा–17 के अनुसार बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा–21 के अनुसार लोक सेवक समझे जावेगें।

3. **बाल विवाह शून्यकरणीय कब होगाः**– बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा–3 में प्रावधान किया है कि प्रत्येक बाल विवाह जो चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात सम्पन्न हुआ हो, विवाह बन्धन में आने वाले ऐसे पक्षकार जो विवाह के समय बालक था, के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। ऐसे विवाह को शून्य घोषित कराने

की डिक्री प्राप्त कराने के लिए उस पक्षकार द्वारा जिला न्यायालय में अर्जी दायर की जा सकेगी। यदि अर्जी दायर करते समय अर्जीदार अवयस्क है तो ऐसा आवेदन उसके संरक्षक या वादमित्र अथवा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के माध्यम से किया जा सकता है। जहाँ अर्जी दायर करने वाला बालक वयस्क हो गया है तो उसके वयस्कता प्राप्त करने के दो वर्ष के भीतर ही ऐसा आवेदन किया जावेगा। उक्त अधिनियम की धारा–2 (ड.) में जिला न्यायालय को परिभाषित किया है, जिसके अनुसार जहॉ कुटुम्ब न्यायालय विद्यमान है वहाँ ऐसा न्यायालय और जहॉ कुटुम्ब न्यायालय नहीं है वहॉ सिविल न्यायालय ऐसे मामलों में अधिकारिता रखेगा।

4. **भरण–पोषणः**– अधिनियम की धारा–4 में प्रावधान किया गया है कि उक्तानुसार धारा–3 के अधीन डिक्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय बाल विवाह के बन्धन में आने वाले पुरूष पक्षकार को और यदि वह अवयस्क है, तो उसके माता–पिता या संरक्षक को, विवाह के बन्धन में आने वाली महिला पक्षकार को, उसके पुनर्विवाह तक भरण–पोषण राशि अदा करने के लिए अन्तरिम या अंतिम आदेश दे सकेगा। यदि अर्जी देने वाला पक्षकार, विवाह के बन्धन में आने वाली महिला पक्षकार है तो जिला न्यायालय उसके पुनर्विवाह तक उसके निवास के लिए उपयुक्त आदेश भी कर सकेगा।

5. **बाल विवाह से जन्में बालक की अभिरक्षा** :– उक्त अधिनियम की धारा–5 के अनुसार बाल विवाह से किसी बालक का जन्म हुआ है, वहॉ जिला न्यायालय ऐसे बालकों की अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश करेगा।

6. **बाल विवाह से जन्में बालक की प्रास्थिति** :– उक्त अधिनियम की धारा–6 में प्रावधान है कि अधिनियम की धारा–3 के अधीन विवाह को शून्य घोषित कर दिया गया हो तो भी डिक्री किये जाने से पूर्व बाल विवाह से जन्मा या गर्भाहित प्रत्येक बालक, चाहे वह इस अधिनियम के

प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात पैदा हुआ हो, सभी प्रयोजनों के लिए धर्मज बालक समझा जावेगा।

7. **न्यायालय का क्षैत्राधिकार** :– उक्त अधिनियम की धारा–8 के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम की धारा–3, धारा–4 तथा धारा–5 के अधीन आवेदन उस जिला न्यायालय में किया जावेगाए जहाँ प्रतिवादी या बालक निवास करता है या जहॉ विवाह अनुष्ठापित किया गया था या जहॉ पक्षकारान ने अन्तिम रूप से एक साथ निवास किया था या जहॉ अर्जीदार अर्जी पेश करने की तारीख को निवास कर रहा है।

8. **वयस्क पुरूष द्वारा बाल विवाह करने पर दण्ड** :– अधिनियम की धारा–9 के अनुसार वयस्क पुरूष द्वारा अवयस्क बालिका से बाल विवाह करने पर वह पुरूष दो वर्ष तक के कठोर कारावास या जुर्माने से जो एक लाख रूपये तक का हो सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

9. **बाल विवाह के आयोजन पर दण्ड** :– उक्त अधिनियम की धारा–10 में प्रावधान किया है कि जो कोई किसी बाल विवाह को सम्पन्न करेगा, संचालित करेगा या निर्दिष्ट करेगा या दुष्प्रेरित करेगा, वह जब तक यह साबित नहीं कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह विवाह, बाल विवाह नहीं था, कठोर कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

10. **विधिक संरक्षक द्वारा बाल विवाह अनुष्ठापित करने या सहयोग पर दण्ड** :– उक्त अधिनियम की धारा–11 में प्रावधान किया है कि जहॉ कोई बालक बाल विवाह करेगा, वहॉ ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भारसाधन में चाहे माता–पिता अथवा संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में अथवा अन्य किसी विधिपूर्ण या विधि विरूद्व हैसियत में, बालक है, जिसके अन्तर्गत किसी संगठन या व्यक्ति निकाय का सदस्य भी है, जो विवाह का संवर्धन करने के लिए कोई कार्य करता है या उसका

अनुष्ठापित किया जाना अनुज्ञात करता है या उसका अनुष्ठान किये जाने से निवारण करने के लिए उपेक्षा पूर्वक असफल रहता है, जिसमें बाल विवाह में उपस्थित होना या भाग लेना सम्मिलित है, कठोर कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा, परन्तु कोई स्त्री कारावास से दण्डनीय नहीं होगी। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि जब तक प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता तो यह उपधारणा की जावेगी कि अवयस्क बालक का भारसाधन रखने वाला व्यक्ति बाल विवाह अनुष्ठापित किये जाने से निवारित करने में उपेक्षापूर्वक असफल रहा है। इस प्रकार बिन्दु संख्या 8,9 व 10 से स्पष्ट है कि जो कोई ऐसे बालक या बालिका का बाल विवाह कराता है या उत्प्रेरित करता है अथवा बाल विवाह को प्रोत्साहन या अनुमति देता है, जिनमें पण्डित, नाई, बाराती, अतिथि, बैण्ड वाले, खाना बनाने वाले, टैण्ट वाले, स्थान उपलब्ध करवाने वाले आदि भी आयेगें को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित किया जा सकता है।

11. **बाल विवाह कब शून्य होगा** :– जहॉ कोई बालक, बाल विवाह के प्रयोजन से विधिपूर्ण संरक्षक की देखरेख से बाहर लाया जाता है या आने के लिए फुसलाया जाता है अथवा किसी स्थान से जाने के लिए बल पूर्वक बाध्य किया जाता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण साधनों से उत्प्रेरित किया जाता है या विक्रय किया जाता है और किसी रूप में उसका विवाह कराया जाता है या यदि अवयस्क विवाहित है और उसके पश्चात उस अवयस्क का विक्रय किया जाता है या दुर्व्यापार किया जाता है या अनैतिक प्रयोजनो के लिए उसका उपयोग किया जाता है, वहॉ ऐसा विवाह अधिनियम की धारा–12 के अन्तर्गत अकृत और शून्य होगा।

12. **बाल विवाह के आयोजन पर निषेधाज्ञा** :– उक्त अधिनियम की धारा–13 के प्रावधानों के अनुसार यदि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर

या किसी व्यक्ति से परिवाद के माध्यम से या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उल्लंघन में बाल विवाह तय किया गया है या उसका अनुष्ठान किया जाने वाला है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट, उस विवाह को प्रतिषिद्व करने वाला व्यादेश (स्टे आर्डर) निकालेगा। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी विश्वसनीय रिपोर्ट या सूचना के आधार पर स्वप्रेरणा से भी संज्ञान ले सकता है। ऐसा व्यादेश या निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व दूसरे पक्ष को कारण दर्शित करने का अवसर दिया जायेगा परन्तु अतिआवश्यक होने पर न्यायालय इस प्रावधान के अधीन कोई सूचना दिये बिना अन्तरिम व्यादेश निकाल सकता है। जो कोई यह जानते हुए कि उसके विरूद्व इस प्रकार व्यादेश जारी किया गया है, उसका उल्लंघन करता है तो वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से जो एक लाख रूपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा, परन्तु कोई स्त्री कारावास से दण्डनीय नहीं होगी।

13. **व्यादेश का प्रभाव** :– न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा–13 के अन्तर्गत उक्तानुसार व्यादेश जारी करने के उपरान्त यदि बाल विवाह सम्पन्न किया जाता है, तो वह प्रारम्भ से ही शून्य होगा।

14. **अपराध संज्ञेय व अजमानतीय है** :– बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होते है।

15. **आयु का निर्धारण** :– बाल विवाह के सम्बन्ध में विवाह के पक्षकारों की आयु के सम्बन्ध में विवाद होने पर आयु परीक्षण किशोर न्याय(बालकों की देखरेख) और संरक्षण अधिनियम, 2015 की धारा–94 के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

बाल विवाह की जानकारी मिलने पर कहॉ सूचना दे :–

1. राज्य, जिला एवं उपखण्ड स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम को सूचित करें।

2. संबंधित उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार या पुलिस को सूचित करें।
3. जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या उपखण्ड स्तर पर ताल्लुका विधिक सेवा समिति को सूचित करें।
4. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के टॉल फ्री हेल्प लाइन 15100 पर सूचित करें।
5. मजिस्ट्रेट के न्यायालय में स्थगन हेतु भी आवेदन पेश कर सकते हैं।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कर्तव्य :–

1. बाल विवाह रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाना।
2. बाल विवाह आयोजन की शिकायत/सूचना प्राप्त होने पर तत्काल बाल विवाह रूकवाने हेतु उचित कार्यवाही करना।
3. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के उल्लंघन होने की दशा में अधिनियम की धारा–4, 5 व धारा–13 के अनुसार कार्यवाही करना।
4. बाल विवाह रोकथाम हेतु आमजन को बाल विवाह के दुष्परिणाम बताते हुए जागरूकता फैलाना।
5. विवाह पंजीकरण रिकार्ड का समय–समय पर निरीक्षण करना।
6. जिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाह निषेध अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारूप में प्रेषित करना ।
7. ऐसे अन्य कृत्य और कर्तव्यों का निर्वहन करना जो राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित किये जाएँ।

विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका व प्रयास :–

1. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल विवाह निषेध अभियान चलाया जाकर आम नागरिक को बाल विवाह के दुष्प्रभाव व कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाती है।
2. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की हैल्पलाईन नम्बर 15100 एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में स्थापित हैल्पलाईन पर बाल विवाह के आयोजन की सूचना प्राप्त होने पर प्रशासन के सहयोग से बाल विवाह को रूकवाया जाता है।

3. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मोबाईल वैन के माध्यम से सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षैत्रों तक बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए आमजन को इस कुरीति को दूर हटाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस कार्य में पैरा लीगल वॉलन्टियर्स व पैनल लॉयर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

4. बाल विवाह रोकथाम हेतु पैम्पलेट, पोस्टर एवं वीडियो गीत राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये है, जिनके माध्यम से आमजन को बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी प्रदान की जाती है।

बाल विवाह है एक बुराई

बाल विवाह है एक बुराई, इसको दूर हटाना होगा।
जो नहीं जानते दोष इसके, उनको भी जगाना होगा।

ऋषि–मुनि और ज्ञानिजन ने, जीवन जीना सिखलाया।
बांटा जीवन चार भाग में, ब्रह्मचर्य का सूत्र बताया।
राम कृष्ण ने शिक्षा ली, तब जाकर के ब्याह रचाया।
लोगों को इतिहास बताकर, गौरव फिर से जगाना होगा।
बाल विवाह है एक बुराई, इसको दूर हटाना होगा।

पक्का घड़ा कुंए में जाकर, पानी भर कर लाता है।
कच्चा घट तत्काल पसर कर, मिट्टी ही बन जाता है।
कच्ची उम्र के बंधन भी, साथ कहां दे पाते हैं।
बाल विवाह के जोड़े भी, राह में छूट जाते हैं।
शादी ब्याह नहीं गुड़ियों का खेल, लोगों को समझाना होगा।
बाल विवाह है एक बुराई, इसको दूर हटाना होगा।

खड़ी फसल खेत में देखी, आँखों को बहत सुहाती है।
मोल नहीं है उसका कोई, जब तक पक नहीं जाती है।
देखी रोशनी दीपों की, जलकर उजियारा देते हैं।
पर जो दीपक कच्चा हो तो, धोखा भी दे देते हैं।
नहीं रिवाज बाल विवाह का, जन–जन को बतलाना होगा।
बाल विवाह है एक बुराई, इसको दूर हटाना होगा।

उठी जो डोली बचपन में, शिक्षा अधूरी रह जाएगी।
कली जो तोड़ी खिलने से पहले, खुशबू कहां से आएगी।
बचपन मे बन गई जो माँ, समझो अर्थी उठ जायेगी।
लाड़ प्यार से पाला था, पर सूनी कोख हो जाएगी।
बाल विवाह तो घोर पाप है, लोगों को बतलाना होगा।
बाल विवाह है एक बुराई, इसको दूर हटाना होगा।

जानते सब सार विधि का, फिर गुनाह क्यों करते हैं।
ऐसे विवाह में शामिल होकर, दंड के भागी बनते हैं।
कन्यादान उम्र से पहले, यह सोचना भी पाप है।
लड़की ना हो 18 की, तो ऐसा विवाह अभिशाप है।
बाल विवाह को रोकना है, क्रान्ति का बिगुल बजाना होगा।
बाल विवाह है एक बुराई, इसको दूर हटाना होगा।

मृत्युभोज एक सामाजिक कुरीति है

मृत्युभोज क्या है–

मृत्युभोज किसी भी व्यक्ति के यहां यदि उनके किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के उपरान्त परम्परा मानते हुए अपने समाज के लोगों को बुलाकर भोज का आयोजन करना मृत्युभोज कहलाता है। इसमें गंगा प्रसादी, नुक्ता, मौसर आदि नामों से कराये जाने वाले भोज सम्मिलित हैं।

मृत्युभोज के दुष्परिणाम–

मृत्युभोज एक सामाजिक कुरीति है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिजन जहॉ दुःख और पीड़ा से गुजर रहे होते है वहीं उन्हें मृत्युभोज का खर्च भी उठाना पड़ता है। सामाजिक प्रतिष्ठा व दबाव के कारण गरीब, मजदूर व कृषक प्रवृत्ति के लोगों को भी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृत्युभोज का खर्च उठाना पड़ता है, जिसके कारण कई बार ऐसे परिवार साहूकारी ऋण के कुचक्र में फॅस जाते है। इस सामाजिक कुरीति को जन–जागरूकता के माध्यम से जड़ सहित खत्म करना आवश्यक है।

मृत्युभोज कुरीति होने के साथ–साथ कानूनी अपराध भी है। मृत्युभोज को रोकने के लिए राजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम 1960 पारित किया हुआ है। उक्त एक्ट की धारा 3 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति राज्य में मृत्युभोज का आयोजन नहीं करेगा, न ही उसमें शामिल होगा। इस प्रकार उक्त अधिनियम के अनुसार मृत्युभोज को कानूनी अपराध बनाया गया है। यदि कोई व्यक्ति मृत्युभोज का आयोजन करता है या दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता करता है तो उसे 1 वर्ष के कारावास या 1000 रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। इस प्रकार मृत्युभोज का आयोजन करने वाले और उसमें किसी प्रकार से सहयोग करने वाले दोनों अपराधी होते हैं।

कानूनी प्रावधानः–

1. राजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम,1960 की धारा–2 में मृत्युभोज

को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार मृत्युभोज के अन्तर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में आयोजित या दिया गया भोज शामिल है। ''मृत्युभोज आयोजित करना या देना'' में तैयार या बिना तैयार भोजन सामग्री वितरीत करना सम्मिलित है परन्तु इसमें धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष संस्कारों के अनुपालन में परिवार के लोगों या पुरोहितों या फकीरों के लिए आयोजित ऐसा भोज शामिल नहीं है जो सौ व्यक्तियों तक के लिए आयोजित किया गया हो।

2. इस अधिनियम की धारा–3 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में कोई भी व्यक्ति मृत्युभोज आयोजित नहीं करेगा, न देगा, न ही इसमें शामिल होगा, न ही इसमें भाग लेगा। उक्त प्रावधान का यदि कोई उल्लंघन करता है या ऐसे उल्लंघन के लिए उकसाता है या सहायता करता है तो वह किसी अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय होगा, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजाओं से दण्डित किया जा सकेगा।

3. न्यायालय द्वारा स्टे–यदि ऐसा न्यायालय जो इस प्रकृति के अपराधों का संज्ञान लेने में सक्षम है, संतुष्ट है कि इस अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन में मृत्युभोज की व्यवस्था की गई है या आयोजन किया जाने वाला है तो न्यायालय ऐसे मृत्युभोज के आयोजन को रोकने हेतु निषेधाज्ञा (स्टे आर्डर)जारी कर सकता है।

4. जहॉ कोई व्यक्ति यह जानकारी रखते हुए कि उसके विरूद्व अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत व्यादेश जारी किया गया है और वह उक्त व्यादेश का उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्ति को कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है या एक हजार रूपये तक जुर्माना या दोनों सजाओं से दण्डित किया जावेगा।

5. अधिनियम की धारा–7 में प्रावधान है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि (पंच, सरपंच) एवं पटवारी, लम्बरदार का यह दायित्व बनता है कि जैसे ही उनको उनके क्षैत्र में मृत्युभोज के आयोजन या आयोजन के आशय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो वे तुरन्त सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास सूचना प्रेषित करेगें। जहॉ सरपंच, पंच, पटवारी या लम्बरदार

उक्त सूचना देने में असफल रहते है तो उन्हें 3 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों सजाओं से दण्डित किया जा सकता है।

6. अधिनियम की धारा 8 में प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति मृत्युभोज के लिए रुपया या सामान उधार नहीं लेगा और ना ही उधार देगा । यदि यह जानकारी रखते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि मृत्युभोज के आयोजन के लिए ऋण लिया जा रहा है तो ऐसी ऋण राशि के पुर्नभुगतान हेतु किया गया करार शून्य होगा और उसे न्यायालय से लागू नहीं कराया जा सकेगा।

7. इस अधिनियम के अन्तर्गत घटित अपराध का संज्ञान अपराध किये जाने से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं लिया जावेगा।

विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका व प्रयासः–

1. इस अधिनियम के अन्तर्गत यह आज्ञापक प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच, पटवारी व लम्बरदार को उनके क्षैत्र में मृत्युभोज के अपराध के कारित होने या किये जाने के आशय के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर सक्षम मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होती है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपने जन – जागरूकता अभियान के दौरान सरपंच, पंच, पटवारी व लम्बरदार को मृत्युभोज रोकने सम्बन्धी उक्त प्रावधान के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराया जाता है तथा आवश्यकता होने पर इस सम्बन्ध में विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

2. मृत्युभोज सामाजिक कुरीति होने के साथ–साथ कानूनी अपराध भी है इस बारे में आम–जन को जागरूक करने हेतु पैरालीगल वॉलन्टियर्स, पैनल लॉयर के सहयोग से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जनजागरूकता अभियान चलाया जाता है। अभियान के दौरान आमजन को मृत्युभोज के दुष्परिणाम बताते हुए इस कुरीति को हमेशा के लिए समाप्त करने हेतु प्रेरित किया जाता है।

3. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन को राजस्थान मृत्युभोज निषेध अधिनियम की जानकारी देने हेतु पोस्टर, वैनर बनवाये गये है तथा मोबाईल वैन के माध्यम से दूरवर्ती ग्रामीण क्षैत्रों में भी इस कुरीति को हटाने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

4. बाल्य–अवस्था में जो सिखाया जाता है वह हमेशा याद रहता है ।आज का बालक ही कल का नागरिक होगा। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्रामीण क्षैत्रों में स्थित विद्यालयों में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर बालकों को मृत्युभोज के दुष्प्रभाव की जानकारी दी जाती है तथा उन्हें इस कुरीति को हटाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

मृत्युभोज नहीं खायेंगे

मृत्यु हुई है जिसके घर में, दावत कैसे उड़ायेंगे।
लाश पर बैठे गिद्ध की भाँति, मृत्यु भोज नहीं खायेंगे।

जीवन में जब आये खुशी, तो उत्सव हम मनाते हैं।
करके आयोजन भोज का, सारे अपनो को बुलाते हैं।
पर जब कोई गम में डूबा हो, मिलकर शोक मनायेंगे।
मृत्यु हुई है जिसके घर में, दावत कैसे उड़ायेंगे।

ऐसे भोज नहीं होते इच्छा से, पर जाति से डरते हैं।
निर्धन लोग भी लोक–लाज से, कर्ज के बोझ में दबते हैं।
रूका नहीं है जिसके घर रोना, वहां कैसे जीमने जायेंगे।
मृत्यु हुई है जिसके घर में, दावत कैसे उड़ायेंगे।

टूटा जो परिजन के खोने से, संबल उसे बंधाओं।
दे हवाला रीति–रिवाज का, ना कर्ज में उसे फंसाओ।
दादाजी के मौसर का कर्जा, पोते भी चुका ना पायेंगे।
मृत्यु हुई है जिसके घर में, दावत कैसे उड़ायेंगे।

एक वर्ष की सजा मिले, जो मृत्यु भोज करता है।
भोज में शामिल होने वाला भी, दण्ड का भागी बनता है।
घोर अपराध है मृत्यु भोज, इसको नहीं बढ़ायेंगे।
मृत्यु हुई है जिसके घर में, दावत कैसे उड़ायेंगे।

“

राह में रोड़ा बनती हैं कुरीतियां
हम जन-जन को समझायेगें।
भारत बढ़े विकास के पथ पर,
सामाजिक कुरीतियां दूर हटायेंगे।।

”

Contact Details of District Legal Services Authorities & Secretaries

S.N.	DISTRICT	STD Code	Office DLSA	Official Mobile	Help Line No.
1	AJMER	0145	2943811	9358865706	8306002101
2	ALWAR	0144	2940098	9358865707	8306002102
3	BALOTRA	02988	220970	9358865708	8306002103
4	BANSWARA	02962	241547	9358865710	8306002104
5	BARAN	07453	237186	9358865711	8306002105
6	BHARATPUR	05644	228870	9358865712	8306002106
7	BHILWARA	01482	230199	9358865713	8306002107
8	BIKANER	0151	2970623	9358865714	8306002108
9	BUNDI	0747	2442533	9358865715	8306002109
10	CHITTORGARH	01472	294210	9358865716	8306002112
11	CHURU	01562	294594	9358865718	8306002110
12	DAUSA	01427	223029	9358865719	8306002114
13	DHOLPUR	05642	220162	9358865720	8306002115
14	DUNGARPUR	02964	233078	9358865721	8306002116
15	GANGANAGAR	0154	2944888	9358865722	8306002117
16	HANUMANGARH	01552	294199	9358865723	8306002118
17	JAIPUR METRO-I	0141	2200576	9358865724	8306002119
19	JAIPUR METRO-II	0141	2947155	9358510180	8306006150
18	JAIPUR DISTRICT	0141	2203090	9358865725	8306002120
19	JAISALMER	02992	294676	9358865726	8306002123
20	JALORE	02993	294337	9358865727	8306002126
21	JHALAWAR	07432	294065	9358865728	8306002127
22	JHUNJHUNU	01592	294040	9358865729	8306002128
23	JODHPUR METRO	0291	2540351	9358865730	8306002021
24	JODHPUR DISTRICT	0291	2943451	9358865731	8306002129
25	KARAULI	07464	251108	9358865732	8306002130
26	KOTA	0744	2321096	9358865733	8306002131
27	MERTA	01590	220110	9358865734	8306002132
28	PALI	02932	294035	9358865735	8306002166
29	PRATAPGARH	01478	220302	9358865736	8306002134
30	RAJSAMAND	02952	221000	9358865738	8306002135
31	SAWAI MADHOPUR	07462	294301	9358865739	8306002136
32	SIKAR	01572	270048	9358865740	8306002137
33	SIROHI	02972	294048	9358865742	8306002138
34	TONK	01432	294603	9358865743	8306002139
35	UDAIPUR	0294	2940382	9358865744	8306002022
36	RHCLSC, Jodhpur	0291	2888047	9358865703	8306002140
37	RHCLSC, Jaipur	0141	2227481	9358865702	8306002122

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, Fax: 2227602
Toll Free Help Line 15100/9928900900)
Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in
website: www.rlsa.gov.in